प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**.....वर्ष ....**2022**.....

2. प्र.इ.रि.सं.....353/**2022**..... दिनांक 9/9/2022

(I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018)**. धारा – **7**.....

(II) * अधिनियम .....**भादस**.....धारा – .....120बी.....

(III) * अधिनियम.....–..... धाराएं.....–.....

(IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं .....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....समय.....

(ब) अपराध घटने का दिन व समय– शुक्रवार **दिनांक 01.07.2022**

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – .....30.06.2022 वक्त 07.15 पी.एम..... .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – **– उत्तर दिशा 280 किमी**

(ब) पता – **हिन्दुमल कोट जिला श्रीगंगानगर**

बीटसंख्या.....–.....जुरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....–.....

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम – **श्री सुखदेव सिंह**

(ब) पिता/पति का नाम – श्री जसपाल सिंह

(स) जन्म तिथि/आयु – **25** वर्ष

(द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**

(य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह .....

(र) पेशा – मजदूरी

(ल) पता – **गांव खखां पुलिस थाना हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

8. श्री आशीष कुमार पुत्र श्री श्योपत राम पेशा नौकरी निवासी गावं व पोस्ट धोलीपाल पुलिस थाना सदर हनुमानगढ हाल कानिस्टेबल नम्बर 1119 पुलिस थाना हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर व अन्य

9. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

11. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....–.....

12. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) .....–.....

13. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 30.06.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एस.यू.) बीकानेर द्वारा परिवादी श्री सुखदेव सिंह निवासी खंखा हिन्दुमलकोट के मो. 8529361162 दिये तथा बताया कि परिवादी से श्री रामप्रताप थानेदार पुलिस थाना हिन्दुमलकोट द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। इसलिए आप हिन्दुमलकोट के आस पास जाकर परिवादी से सम्पर्क कर श्री रामप्रताप थानेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करे। जिस पर वक्त 01.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ श्री राजेश कुमार हैड कानि 76, जीमल अहमद कानि 147 मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर व नया मैमोरी कार्ड जरिये निजी वाहन से रवाना होकर रेलवे फाटक के पास कोठा पक्की रोड़ हिन्दुमलकोट पंहुचा जंहा पूर्व में हुई वार्तानुसार परिवादी श्री सुखदेव सिंह उपस्थित आया तथा परिवादी ने वक्त 07.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को एक लिखित शिकायत इस आशय की पेश की कि" मैं पहले नशा करता था अब मैने नशा छोड़ रखा है, कल दिनांक 29.06.22 को श्री रामप्रताप थानेदार साहब मुझे घर से पकड़ कर थाने में ले गये। मुझे कहा कि आप नशे को बेचते हो। मुझे कमरे में डाल दिया, मेरे गांव के श्री दर्शन सिंह थाने में आए और मुझे छुड़ाने के लिए श्री रामप्रताप थानेदार से बातचित की, तो थानेदार ने मुझे छोडने के बदले में 20,000/– रूपये मांग की तक श्री दर्शन सिंह ने मेरी जिम्मेदारी लेते हुए थानेदार से कहा की साब एक दो दिन में आपके 20,000 रूपये दे देंगे। मैं श्री रामप्रताप थानेदार को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं मैं उनको रिश्वत पकड़वाना चाहता हूं। मेरा उस के साथ लेन देन बकाया नहीं। कानूनी कार्यवाही करें। " परिवादी ने दरियाफ़्त पर बताया कि यह प्रार्थना पत्र मेरे हस्तलेख में है और इस पर मेरे हस्ताक्षर है जो सही है। पूछने पर शिकायत में अंकित तथ्यों की ताईद की। परिवादी ने यह भी बताया की मेरी थानेदार जी श्री रामप्रताप से कोई रंजीश नहीं है और नहीं उनसे कोई उधारी का लेन देन बकाया है। परिवादी ने बताया कि मैने उक्त शिकायत के संबध में ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर पर भी बताया तब उन्होने मुझे कहा की ब्यूरो के अधिकारी आपसे शीघ्र सम्पर्क कर लेंगे। परिवादी की शिकायत व पूछताछ से मामला भ्र.नि. (संशोधन) अधि.2018 की तारीफ में आना पाया जाना प्रतीत होता है। परिवादी ने यह भी बताया की श्री रामप्रताप थानेदार मेरे से सीधी रिश्वत के बारे में बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं दर्शन सिंह से बात कर उनको बुला लेता हूं। और मैं उनके साथ थाने में जाकर श्री दर्शन सिंह के मार्फत ही थानेदार जी बातचीत करूगां। जिस पर परिवादी द्वारा श्री दर्शन सिंह को फोन करके कहा की मेरे से पूरे रूपयों (20,000) की व्यवस्था नहीं हुई है केवल 10,000/– की व्यवस्था हुई है। इसलिए अपन थाने में जाकर थानेदार साहब, श्री रामप्रताप से बात कर आप उनको 10,000/– दे देंगे तथा बाकी रूपये श्री रामप्रताप को एक दो दिन में व्यवस्था कर दे दूंगा। उनसे अपन एक दो दिन का समय ले लेते है। जिस पर श्री दर्शन सिंह ने कहा की थानेदार जी अभी कहीं गये हुए है। अपन दोनो सुबह चलेंगे। जिस पर परिवादी को दिनांक 01.07.2022 वक्त 9:30 एएम पर कोठा तिराहे पर मिलने के लिए पाबंद कर रूखस्त किया। मन पुलिस निरीक्षक व ब्यूरो स्टाफ रात्रि मुकीम हिन्दुमलकोट के आस पास रहे।

दिनांक 01.07.2022 वक्त 10:05 ए.एम. पर परिवादी श्री सुखदेव सिंह कोठा तिराहे के पास मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ खड़े है के पास आया व परिवादी ने बताया की श्री दर्शन सिंह ने मुझे कहा की पूरे पैसे मुझे दो, पूरे पैसे बिना मैं श्री रामप्रताप थानेदार से बात नहीं करूंगा, ना ही मै आपके साथ थाने में जाउंगा। परिवादी ने बताया कि मैं कई बार थानेदार जी श्री रामप्रताप से मिला हुआ हुं। इसलिए वो शायद मेरे से वार्ता कर लेंगे। थानेदार जी के लिए पैसों का लेन देन करने वाला सिपाही आशिष भी इस मामले में बातचीत कर सकता है तथा इन दोनो में से कोई भी मेरे से रिश्वत की मांग कर सकता है। मैं थाने में जाकर श्री रामप्रताप थानेदार व आशिष सिपाही से मेरे कार्य के संबंध में बातचीत कर सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सुखदेव सिंह व श्री जमील अहमद कानि 147 का आपसी परिचय करवाया तथा श्री जमील अहमद कानि को परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों के बारे में बताया। श्री जमील अहमद कानि की उपस्थिति में परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु व बंद (संचालन) की विधि समझाईस की गई व डिजिटल टेप रिकार्डर में एक नया मैमोरी कार्ड डाला गया। परिवादी श्री सुखदेव सिंह को आवश्यक हिदायत की गई। श्री जमील अहमद कानि 147 से डिजिटल टेप रिकार्डर चालु करवा कर परिवादी को सुपुर्द करवाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करने हेतु परिवादी को उसकी मोटर साईकल से पुलिस थाना हिन्दुमलकोट के लिए रवाना किया। इसके पीछे–पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ हमराह निजी कार से रवाना हुए। वक्त 12:35पी.एम. पर परिवादी श्री सुखदेव सिंह मन् पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित आया। जिससे डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मैं थाना हिन्दुमलकोट में गया, जहां रामप्रताप थानेदार मुझे नहीं मिले। मैने उनका करीब घंटे भर इंतजार किया इस दौरान थाने के स्टाफ ने कभी कभी मुझसे सामान्य वार्ता की। उसके बाद आशिष कानिस्टेबल मिला। जिसने एसएचओ अपने क्वार्टर में होना बताया तथा बीस हजार रूपये दर्शन सिंह या ख्याली को देने को कहा। वार्ता को मैने डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की। परिवादी व श्री जमील अहमद कानि की उपस्थिति में डिजिटल टेप रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई। परिवादी ने बताया की मै रिश्वती राशि आशिष सिपाही को ही देना चाहता हूं। परिवादी को फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने का कहा तथा परिवादी

ब्यूरो स्टाफ व डिजिटल टेप रिकार्डर सहित वक्त 2 पीएम पर मेरी निजी कार से बीकानेर के लिए रवाना होकर श्रीगंगानगर पहुंचा। परिवादी ने बताया की मेरे घर पर जरूरी कार्य है तथा मुझे रिश्वती राशि व्यवस्था करनी है। इसलिए मैं बीकानेर नहीं चल सकता। मैं कल आपको श्रीगंगानगर रोड़ पर श्रीगंगानगर से करीब 10–15 कि.मी. दूर राधा स्वामी सत्संग के आस पास मिल जाउंगा। जिस पर परिवादी को रिश्वती राशि की व्यवस्था कर दिनांक 02.07.2022 को तय स्थान पर सुबह 10 बजे मिलने की हिदायत कर वक्त करीब 3 पीएम पर परिवादी को फारिग किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा। समस्त हालात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन कर कल दिनांक 02.07.2022 के लिए गवाह व ब्यूरो स्टाफ को पाबंद करने के लिए निवेदन किया गया। श्री राजेश कुमार हैड कानि 76, श्री जमील अहमद कानि 147 को हिदायत दी गई की ट्रेप कार्यवाही की आवश्यक सामग्री व गवाह तथा ब्यूरो स्टाफ को एसीबी चौकी एसयू बीकानेर से लेकर दिनांक 02.07.2022को कोड़ा चौक श्रीगंगानगर पर सुबह दस बजे तक मेरे पास उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया। मन पुलिस निरीक्षक डिजिटल टेप रिकार्डर व कागजात सहित मुकीम श्रीगंगानगर रहा व दीगर राजकार्य में व्यस्त हुआ।

दिनांक 02.07.2022 वक्त 10.45 एएम पर श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 76, श्री मंगतुराम मुख्य आरक्षक नम्बर 71, श्री जमील अहमद कानि नं. 147, श्री योगेन्द्र सिंह कानि 482, श्री दामोदर सिंह कानि व दो व्यक्ति जरिये वाहन इनोवा नम्बर आर.जे. 07 टीबी 3251 मय चालक श्री मदन लाल के मन पुलिस निरीक्षक के पास कोडा चौक श्रीगंगानगर पहुंचे। श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक ने बताया कि ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर गाडी में रखे है तथा फिनोपथलीन पाउडर की शिशि गाडी की डेसबोर्ड में रखी है। श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक के पाबंद शुदा उक्त दोनों श्री भींयाराम व श्री रामकुमार सरकारी कर्मचारी है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त दोनो को अपना पूर्ण परिचय दिया तथा उन दोनो का परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री भींयाराम पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट उम्र 25 वर्ष पेशा नौकरी, निवासी गांव बरसिंहसर तहसील व जिला बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता सा.नि.वि. नगर उपखण्ड III बीकानेर व दूसरे ने अपना नाम श्री रामकुमार गहलोत पुत्र श्री करणीदान गहलोत उम्र 41 वर्ष जाति माली पेशा नौकरी निवासी पंचसती सर्किल सादुलगंज बीकानेर हाल सहायक कर्मचारी, कार्यालय सहायक अभियंता सा.नि. वि. नगर उपखण्ड III बीकानेर होना बताया। पूछने पर दोनो ने कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के रूप में शामिल रहने की सहमति दी। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक उपरोक्त हमराहियान के जरिये मन निरीक्षक पुलिस की निजी कार व प्राईवेट इनोवा के गंगानगर से हिन्दुमल कोट की तरफ वक्त 11.00 ए.एम. पर रवाना होकर हुआ। श्रीगंगानगर से हिन्दुमल कोट रोड पर बने राधास्वामी सत्संग भवन के पास परिवादी श्री सुखदेव सिंह अपनी मोटर साईकिल सहित उपस्थित मिला। जिसको साथ लेकर हिन्दुमल कोट की तरफ रवाना शुदा मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान सहित ग्राम पंचायत भवन खाटलबाना पहुंचा। कार्यवाही में कागजात तैयार करने हेतु ग्राम पंचायत भवन काम लेने हेतु ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित कर्मचारी से सहमति प्राप्त की गई। परिवादी श्री सुखदेव सिंह का दोनो गवाहान श्री भींयाराम व रामकुमार से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र व रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्य दोनो गवाहान को बताये गये।

दिनांक 02.07.2022 वक्त 11.45 ए.एम. पर परिवादी श्री सुखदेव सिंह व श्री आशिष कानिस्टेबल पुलिस थाना हिन्दुमलकोट के मध्य दिनांक 01.07.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था, जो डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा है को परिवादी श्री सुखदेव सिंह, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री भींयाराम व श्री रामकुमार एव श्री जमील अहमद कानि के समक्ष कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को सुन सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार करवाई गई। वार्ता सुनने से आरोपी श्री आशिष कानिस्टेबल पुलिस थाना हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर द्वारा परिवादी श्री सुखदेव सिंह से 20000 रू रिश्वत के श्री दर्शन सिंह या श्री ख्याली राम को देने की मांग करना पाया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री जमील अहमद कानि से टाईप करवाई तथा तीन डीवीडी भी तैयार करवाई गई। तीनों डीवीडीयों पर परिवादी, दोनो गवाहान व श्री जमील अहमद कानि के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक डीवीडी को सफेद पकडे की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये व दो डीवीडी अन्वेष्णार्थ खुली रखी गई। तीनों डीवीडी मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखी। डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक ने अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित अपने पास रखा। वक्त 01.20 पीएम पर परिवादी ने बताया कि मै रिश्वत में दी जाने वाली राशि साथ नहीं लाया हूं। मैं पैसों की व्यवस्था कर शीघ्र उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया। कुछ समय बाद परिवादी श्री सुखदेव सिह उपस्थित आया व बताया कि रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई है। जिस पर वक्त 02.45 पीएम पर श्री योगेन्द्र सिंह कानि से इनोवा गाडी के डेसबोर्ड के रखी फिनोपथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई गई। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुखदेव सिंह द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20000 हजार रूपये, होना बताकर पेश किये जिनका अवलोकन किया तो दो हजार रूपये का एक नोट, पांच पांच सौ रूपये के तैतीस नोट, दो दो सौ रूपये के पांच नोट व एक

एक सौ रूपये के पांच नोट कुल 20,000/– भारतीय मुद्रा है। जिनके नम्बर आदि विवरण फर्द में अंकित किये जाकर उक्त सभी नोटो को अखबार के कागज पर रखवाकर श्री योगन्द्र सिंह कानि 482 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया जाकर बाद जामा तलाशी परिवादी की शर्ट की सामने की उपर की बांयी जेब में रखवाये। दृष्टांत दिया गया गवाहान व परिवादी को समझाईश की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट तथा दृष्टांत फिनोफ्थ्लीन पाउडर तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड परिवादी श्री सुखेदव सिह को वरवक्त रिश्वत लेन देन होने वाली वार्ता रिकार्ड करेन हेतु सुपुर्द किया। श्री योगेन्द्र सिंह कानि 482 को फिनोपथलीन पाउडर की शिशि सहित ब्यूरो कार्यालय एस.यू. बीकानेर के लिए आवश्यक हिदायत कर वक्त 3.55 पीएम पर रवाना किया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री भींयाराम, श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 76 मेरी निजी कार से, श्री मंगतुराम मुख्य आरक्षक, श्री दामोदर सिंह कानि, श्री रामकुमार गवाह को इनोवा गाडी मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर इत्यादी तथा परिवादी श्री सुखदेव सिंह मय श्री जमील अहमद कानि को परिवादी की मोटरसाईकिल से पुलिस थाना हिन्दुमल कोट की तरफ रवाना हुआ। वक्त 04.30 पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के पुलिस थाना हिन्दुमल कोट से पहले सुजावलपुर के बाहर रूका, परिवादी श्री सुखदेव के मोबाईल नम्बर 8529361162 से आरोपी श्री आशिष के मोबाईल नम्बर 7665877719 से वार्ता करवाई। परिवादी ने बताया कि आशिष थाने पर नहीं है थाने से बाहर है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक हमराहियान सहित गोपनीय स्थान पर मुकीम हुए। वक्त 7.20 पीएम पर बॉर्डर इन्टेलीजेन्स के अधिकारी आये जिन्हे अपना परिचय दिया जिस पर अधिकारियों ने बताया कि किसी ने फोन किया कि दो गाडियों पर बाहर की टीम घूम रही है। जिन्होने परिवादी सुखदेव सिंह को देखकर पहचान लिया तथा बातचीत करनी चाही तो उन्हे बात नहीं करने दी गई। जिस पर बी आई के कर्मचारी वापिस चले गये। संभवत पुलिस थाना हिन्दुमल कोट में जाकर तस्दीक करेगे। जिस पर गोपनीयता बनाने हेतु जगह तब्दील की गई। परिवादी श्री सुखदेव सिंह ने अपने विश्वस्त से पता कर मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि आशिष कानिस्टेबल थाने पर नहीं है व शायद ही आज थाने पर वापिस आयेगा। श्री दर्शन सिंह की मेरे साथ बार बार टेलिफोन से बातचीत हो रही है जो भी थाना पर रिश्वत की राशि लेने के लिये हाजिर नहीं आयेगा। थानेदार श्री रामप्रताप मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बार बार थाने पर जाकर थानेदार रामप्रताप से मिलने की कोशिश करता हूं तो गेट पर लगा संतरी मुझे मिलने नहीं देता है बी आई वाले भी जाकर थाने में बात करेगे। इसलिए आज ट्रेप कार्यवाही की संभावना नहीं होने पर परिवादी श्री सुखदेव सिंह की शर्ट की बायी उपर की जेब में रखी रिश्वती राशि गवाह श्री भींयाराम से निकलवाकर एक अखबार में रखवाकर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई। परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि आरोपी को शक न हो इसलिए एक दो दिन का अंतराल रखकर कार्यवाही मैं आपसे सम्पर्क कर लुंगा। जिस पर परिवादी को हिदायत की गई कि यदि आरोपी आपसे सम्पर्क करता है तो तुरन्त मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवावे। वक्त 07.40 पीएम पर पर परिवादी को हिदायत कर रूखस्त किया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय ट्रेप बॉक्स मय रिश्वती राशि, लैपटॉप प्रिन्टर जरिये इनोवा के मुनासिब हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय एसयू बीकानेर के लिए रवाना किया। मन निरीक्षक पुलिस मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर, रिश्वती राशि मांग सत्यापन की शिल्ड व खुली डिवीडी मय मेरी निजी कार से श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मुकीम श्रीगंगानगर रहने हेतु रवाना हुआ।

दिनांक 06.07.2022 वक्त 10.30 ए.एम पर श्री मंगतुराम मुख्य आरक्षक नम्बर 71, श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 76, श्री जमील अहमद कानि नं. 147, श्री दामोदर सिंह कानि व दोनो स्वतंत्र गवाह भींयाराम व श्री रामकुमार मय ट्रेप बॉक्स, फिनोपथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि, लैपटॉप, प्रिन्टर इत्यादी के जरिये वाहन इनोवा नम्बर आर.जे. 07 टीबी 3251 मय चालक श्री मदन लाल के मन पुलिस निरीक्षक के पास निर्माणाधीन ओवरब्रीज, नई कॉलोनी व गुरूद्वारा करतारपुर साहिब, गंगानगर हिन्दुमल कोट रोड पर आये। मन निरीक्षक पुलिस निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को आज प्रातः 08.45 एएम पर कॉल किया तो उसने बताया कि मैं करीब 10बजे नई कॉलोनी गुरूद्धारा (करतारपुर साहिब) के सामने, निर्माणाधीन ओवर ब्रीज के पास, गंगानगर हिन्दुमल कोट रोड पर मिल जाउगां। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को कॉल किया किन्तु उनके द्वारा कॉल रिसिव नहीं किया। इसलिए परिवादी के इंतजार में हमराहियान सहित मुकीम हुआ। वक्त 12.30 पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को बार बार कॉल करने उपरांत भी उनके द्वारा कॉल रिसिव नहीं किया किये जाने पर हालात श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक को निवेदेन किया व श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री मंगतुराम मुख्य आरक्षक, श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक, श्री जमील अहमद कानि, दोनो स्वतंत्र गवाह, ट्रेप बॉक्स मय फिनोपथलीन पाउडर लगी रिश्वती राशि 20000 रू, लॅपटॉप, प्रिन्टर इत्यादी के आवश्यक हिदायत कर बीकानेर के लिए रवाना किया तथा मन निरीक्षक पुलिस मय श्री दामोदर सिंह कानि के दीगर राजकार्य में व्यस्त हुआ। डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड शिल्ड व अन शिल्ड डीवीडीयां मेरे पास सुरक्षित रखी गई।

दिनांक 08.07.2022 वक्त 04.30 पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस हमराह श्री दामोदर सिंह कानि के डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, शिल्ड शुदा रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की डीवीडी, उक्त वार्ता की दो खुली डीवीडी जरिये निजी कार के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की एक मूल शिल्ड शुदा डीवीडी व दो खुली डीवीडी श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई। डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर मैमोरी कार्ड को शिल्ड मोहर कर जमा मालखाना करवाया जायेगा। परिवादी ने आज प्रातः जरिये दूरभाष मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी को शक हो जाने के कारण वह अब मेरे से रिश्वती राशि नहीं लेगा। हालात श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। परिवादी को समझाईस की गई कि आरोपीगण का दलाल दर्शन सिंह से लगातार सम्पर्क बनाये रखे।

दिनांक 19.07.2022 वक्त 11.40 ए.एम. पर परिवादी श्री सुखदेव सिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि श्री आशिष सिपाही व श्री दर्शन सिंह को मेरे उपर शक हो गया है इसलिए यह दोनो मेरे से रिश्वती राशि नहीं लेगे तथा परिवादी ने रिश्वती राशि लौटाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर दोनो गवाह श्री भीयांराम व श्री रामकुमार को कार्यालय में उपस्थित आने हेतु जरिये दूरभाष तलब कर दोनो गवाहो को परिवादी द्वारा रिश्वती राशि लौटाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढाया गया। परिवादी व आरोपी श्री आशिष कानिस्टेबल के मध्य दिनांक 01.07.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड जो डिजिटल टेप रिकार्डर मे है जिसे मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा है को कार्यालय की अलमारी मे से निकाल कर परिवादी व दोनो गवाहान के समक्ष उक्त मैमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकार्डर में चलाकर सुना गया। उक्त मैमोरी कार्ड में रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी व आरोपी श्री आशिष कानि पुलिस थाना हिन्दुमलकोट के मध्य हुई रिकार्ड है। उक्त मैमोरी कार्ड को रूबरू गवाहान व परिवादी के डिजिटल टेप रिकार्डर में से निकालकर मैमोरी कार्ड के सेफ्टी कवर में डालकर कवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली मे डालकर सीलमोहर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये। उक्त शिल्ड शुदा मैमोरी कार्ड को श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी व दोनो गवाहान के समक्ष फर्द नमूना सील नम्बर 21 तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा परिवादी व दोनो गवाहान के समक्ष फर्द नष्टीकरण पीतल की सील नम्बर 21 तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोपथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 20000 रू निकलवाकर उक्त रिश्वती राशि को एक अखबार पर रखकर उस पर लगा फिनोपथलीन पाउडर को अच्छी तरह से झाड़ पूंछकर रिश्वती राशि 20000 रू रूबरू गवाहान के परिवादी श्री सुखदेव सिंह को सुपुर्द कर परिवादी श्री सुखदेव सिंह व दोनो गवाहान को बाद हिदायत रूखस्त किये।

इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया कि परिवादी श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह जाति रायसिख उम्र 25 वर्ष निवासी खखा पुलिस थाना हिन्दुमल कोट जिला श्रीगंगानगर को श्री रामप्रताप थानेदार पुलिस थाना हिन्दुमलकोट द्वारा दिनांक 29.06.2022 को उसे घर से उठा कर थाने में ले गये एवं परिवादी को नशा (चिटा)बेचने के आरोप में फंसाने की धमकी देते हुए बीस हजार रूपये की मांग की तथा परिवादी के परिचित श्री दर्शन सिंह द्वारा परिवादी की जिम्मेदारी लेते हुए एक दो दिन में रूपये देने का कहने पर श्री रामप्रताप थानेदार द्वारा परिवादी को छोडने के तथ्य परिवादी द्वारा अपनी लिखित शिकायत में अंकित किया तथा दिनांक 01.07.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री सुखदेव सिंह पुलिस थाना हिन्दुमलकोट में गया तब श्री आशिष कानिस्टेबल पुलिस थाना हिन्दुमलकोट द्वारा परिवादी को श्री रामप्रताप थानेदार से मिलने नहीं दिया तथा दिनांक 29.06.2022 को परिवादी, श्री रामप्रताप व श्री दर्शन सिंह के मध्य हुई वार्ता अनुसार 20000 रू रिश्वत राशि की मांग करते हुए रिश्वती राशि श्री दर्शन सिंह या ख्याली को देने हेतु कहने के तथ्य पाये गये। इस प्रकार आरोपी श्री आशिष कानिस्टेबल पुलिस थाना हिन्दुमल कोट जिला श्रीगंगानगर एवं अन्य का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है।

अतः आरोपी श्री आशीष कुमार पुत्र श्री श्योपत राम पेशा नौकरी निवासी गांव व पोस्ट धोलीपाल पुलिस थाना सदर हनुमानगढ हाल कानिस्टेबल नम्बर 1119 पुलिस थाना हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर व अन्य के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी एफआईआर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(गुरमेल सिंह)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल युनिट बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गुरमेल सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी श्री आशीष कुमार पुत्र श्री श्योपत राम, कानिस्टेबल नम्बर 1119, पुलिस थाना हिन्दुमलकोट, जिला श्रीगंगानगर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 353/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांक 3065-69 दिनांक 9.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला श्रीगंगानगर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर।

9.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।